

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**  
**“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर**  
**(दूरभाष नं.:—0141—2740837, फैक्स 0141—2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)**

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम—1039 / 2013) / अलेसे—गा/८००

दिनांक :—२५.७.२०२२

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र.सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री / श्रीमती / सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संरथा	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	10965	मुकेश कुमार	M.A. (Economics) Final – (2022-23) (Non Collegiate)	Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग परियोजना खण्ड झुन्झुनू।
			NET Merged Cycle (Economics) Dec. 2021, Jun 2022	UGC/NTA	

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

- विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

अपराजक

(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :—२५.७.२०२२

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम—1039 / 2013) / अलेसे—गा/८००

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- संबंधित विभाग / कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
- निजी सचिव, निदेशक।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—गा)